6/13

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी
6/2/15	पत्रावली पेश हुई / पीठासीन अधिकारी ..... / अतः पत्रावली दिनांक 6/3/15 को पेश हो।	
	आज्ञा से	
6/3/15	बकुलाय पक्षकारान उपस्थित / पीठासीन अधिकारी जनसुनवाई में होने से प्रकरण दि. 15/5/15 को पेश हो।	
11.7.15	पत्रावली अज्ञा राजस्व मोड़ अदालत / अन्य द्वारा आदेशान से पेश हुई / प्रकरण में प्रार्थीगण ने प्रकरण में राजीनामा पेश का निवेदन किया कि हम पक्षकारान के बीच राजीनामा हो चुका है एवं वादग्रस्त आराजियात में वादीगण एवं प्रतिवादिगण संख्या 1 से 5 प्रत्येक को 1/7-1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार होकर दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया। अतः प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादिगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं मौजा बड़ली पटवार हल्का बड़ली तहसील कोटड़ा की जमाबन्दी संवत 2068 से 71 के खाता संख्या 79 में वर्णित आराजियात कि. 14 कुल रकबा 15-03 बीघा क्षेत्र का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रत्येक को 1/7-1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार होकर दर्ज किया जाता है तथा बड़ली निर्णित होकर संख्या तय हो। निर्णय सुनाया गया।	

सदस्य
लोक अदालत, कोटड़ा

उपखण्ड अधिकारी
कोटड़ा (जिला उदयपुर)

डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री सत्यनारायण आचार्य (RAS) कोटड़ा

मुकदमा 6/13 सन् ..... सीगह

श्री फागणा पिता मोतीया लहुर नि० - बड़ली (कोरह)

बनाम अनीया पिता मोतीया लहुर नि० बड़ली (कोरह)

दावा बाबत् 88 53 92 RTAC.

यह मुकद्दमा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने श्री सत्यनारायण आचार्य के समक्ष प्रस्तुत हुआ ।

वादी की ओर से वकील श्री वादी प्रतिवादी स्वयं प्रतिवादी की ओर से वकील .....

की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा बड़ली पटवार हल्का बड़ली तहसील कोटड़ा की जमाबन्दी संवत 2068 से 11 के खाता संख्या 19 में वर्णित आराजिसात किता 14 कुल रकबा 15.03 बीघा भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रत्येक अनीया, दीता, सायबा, भैरिया, किशन प्रत्येक को 1/7 - 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

और इस वाद के खर्चे लेखे — रुपये की राशि — आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर — प्रतिशत की दर से ब्याज सहित — द्वारा ..... को दी जाये।

यह आज तारीख 11 मार 07 सन् 2015 को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(एस० एन० आचार्य)
हस्ताक्षर न्यायाधीश
उपखण्ड अधिकारी
पद कोटड़ा (जिला उदयपुर)

सदस्य
लोक अदालत, कोटड़ा

वाद के खर्चे

वादी	रुपये	पैसे	प्रतिवादी	रुपये	पैसे
वाद पत्र के लिये स्टाम्प स्टाम्प वकालात नामा प्रदर्शों के लिये स्टाम्प महनताना वकील) पर खर्चा गवाह फीस कमिश्नर आदेशित की तामील विविध खर्चे			स्टाम्प प्रार्थना पत्र स्टाम्प वकालात नामा प्रदर्शों के लिये स्टाम्प महनताना वकील) पर खर्चा गवाह फीस कमिश्नर आदेशित की तामील विविध खर्चे		
योग			योग		